न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—117/2025/225 आर.टी.एक्ट (2025/117)

1. राजेश शाह पुत्र रतनलाल शाह, जाति जैन, निवासी बीच गली, गुलाबपुरा जिला भीलवाडा अधिकृत सिगनेचर फेशन सूटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड कार्यालय एस0पी0एल0—6 रिको ग्रोथ सेन्टर स्वरूपगंज, वाया हमीरगढ भीलवाडा।

अपीलांट

बनाम

1. नरेन्द्र प्रसाद वर्मा पुत्र गोपीलाल, जाति रेगर निवासी शिवगंज कॉलोनी ब्यावर।
2. योगेश वर्मा पुत्र शंकरलाल वर्मा, जाति रेगर निवासी गली नं0 3 संजय नगर ब्यावर, जिला ब्यावर।
3. ललित कुमार भट्अ निवासी कचरूलाल, जाति रेगर, निवासी ग्राम देलवाडा, तहसील व जिला ब्यावर।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, ब्यावर जिला ब्यावर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2024 संशोधित 26.12.2024 सपठित 27.01.2025, राजस्व वाद संख्या 31/2024 (2024/107)

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोडा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री पुष्पेन्द्रसिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4

निर्णय

दिनांकः— 30.03.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 31/2024 (2024/107) में पारित आदेश दिनांक 06.11.2024 संशोधित 26.12.2024 सपठित 27.01.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 06.11.2024 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। तत्पश्चात

प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 व 152 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.12.2024 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 47 जा0दी0 एवं धारा 229 राज0 प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 27.01.2025 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 31/2024 (2024/107) में पारित आदेश दिनांक 06.11.2024 संशोधित 26.12.2024 सपठित 27.01.2025 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 486/143 रकबा 1.4407 हेक्टर वाके ग्राम दौलतपुरा बलाईयान तहसील व जिला ब्यावर स्थित है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 शांतिपूर्ण तरीके से मालिक स्वामी है, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की उक्त भूमियों में आने जाने का रास्ता उक्त आराजीयात के पूर्व में स्थित खसरा संख्या 487/144 से आया हुआ है जो कि राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है तथा उक्त खसरा संख्या 487/144 के पूर्व में खसरा संख्या 491/145 किस्म सडक हाईवे रास्ता आम चला आ रहा है। प्रार्थी को खसरा संख्या 486/143 में आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं है तथा उक्त कारण से प्रार्थी की भूमि में आने जाने हेतु उक्त खसरा संख्या 487/144 में से होकर रास्ता प्राप्त करना चाहते है, ताकि अपने खेत में आगवामन कर सके। खसरा नम्बर 491/145 किस्म सडक आम रास्ते से नजदीक की रास्ता उक्त खसरा संख्या 487/144 में से होकर ही आया जा सकता है तथा अन्य कोई रास्ता नहीं है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के खसरा संख्या 487/143 में से आवागमन हेतु उक्त आराजी में से तीस फुट रास्ता दिलाया जावे। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को बिना पक्षकार बनाए एवं बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 6.11.2024 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता दिए जाने के आदेश पारित कर दिए। उक्त पारित आदेश के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 जा.दी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा संख्या 486/143 में आवागमन हेतु तीस फीट रास्ता दिलाए जाने के ओदश दिए है किन्तु दिनांक 6.11.2024 में रास्ते के खसरा नम्बर व रकबा गलत अंकन हो गया है जिसे सही अंकन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 26.12.2024 से स्वीकार कर उक्त तथ्यों को देखते हुए आदेश में सहवन से त्रुटि होना अंकन करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 488/144 एवं 489/145 जो रास्ते हेतु प्रभावित होगा, उसे भी आदेश

दिनांक 6.11.2024 में पढे जाने के आदेश दिए जाते है, बाबत संशोधित आदेश दिनांक 26.12.2024 पारित किया गया है। तत्पश्चात उक्त पारित निर्णय की अनुपालना हेतु तहसीलदार ब्यावर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 7.1.2025 में अवगत कराया गया है। खसरा संख्या 488/144 के खातेदार प्रार्थी है, जिन्हें प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं निर्णय दिनांक 6.11.2024 सपठित 26.12.2024 में रास्ता स्वीकृति किए जाने से प्रार्थी खातेदार की आराजीयात खसरा संख्या 488/144 प्रभावित होती है, अतः उक्त अनुसरण में मार्गदर्शन मांगे जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वविवेक से पुनर्विलोकन रिव्यू किया जाकर प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 2 के रूप में बतौर पक्षकार मुकदमा बनाए जाने के आदेश दिनांक 7.1.2025 को दिए गए व दिनांक 23.1.2025 को प्रार्थी की तामिली उपरान्त उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 27.1.2025 को एकपक्षीय बहस सुनी जाकर उक्त दिनांक को ही प्रार्थी की खातेदारी की आराजी में से रास्ता स्वीकृति के आदेश पारित किए गए है। जो कि प्रथम दृष्टया न्यायिक प्रक्रिया का दुरूप्योग करते हुए पारित आदेश होने से निरस्त किए जाने योग्य है। आराजी खसरा संख्या 488/144 जो कि प्रार्थी की खरीदशुदा खातेदारी की आराजी रही है उक्त आराजी से सटती हुई आराजी 487/144 साबिक खसरा संख्या 120 नया नम्बर 144 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा आराजीयात प्रार्थी द्वारा जरिये पंजीकृत विकय पत्र कय की है, जिसके नवीन नम्बर 144/2 व 488/144 प्रार्थी के नाम अंकन किए गए है, किन्तु 144/1 के नवीन नम्बर 488/144 को सरकारी दर्ज किया गया है, जिस बाबत विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा राजस्व वाद खातेदारी घोषणा प्रस्तुत किया गया जो कि बाद निर्णय दिनांक 19.10.2022 माननीय न्यायालय के समक्ष जेरकार है उक्त संदर्भ में समस्त तथ्यों को छिपाते हुए अप्रार्थी संख्या 4 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र धारा 251 ए जा.दी. की स्वंय की खातेदारी की आराजी में आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृति बाबत प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 6.11.2024 पारित किए जाने के उपरान्त धारा 152 प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थी की खातेदारी का रकबा 488/144 भी जोडे जाने के आदेश दिए है एंव पुनः उक्त निर्णय का पुनर्विलोकन किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात में से रास्ता स्वीकृति का आदेश बिना प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किए पारित किए है जो कि प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने योग्य है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी संख्या 4 को नोटिस जारी किए गए। उक्त प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा दिनांक 21.3.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुती के पश्चात दिनांक 27.3.2024 को रिपोर्ट भेजे जाने बाबत आदेश पारित किए गए। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 5.4.2024 को खसरा संख्या 488/144 का रकबा प्रभावित होगा, बाबत अंकन कर रिपोर्ट प्रेषित की गई। जिसे दिनांक 5.4.2024 को ही अधीनस्थ न्यायालय को तहसीलदार द्वारा प्रेषित किया गया है व उक्त प्रेषित रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किए निर्णय दिनांक 6.11.2024 से खसरा संख्या 487/144 व 491/145 में से रास्ता स्वीकृति के आदेश पारित किए गए है, जिसे धारा 152 प्रार्थना पत्र पर दिनांक 26.12.2024 को खसरा संख्या 488/144 में से भी रास्ता दिए जाने के आदेश दिए है एवं पुनः स्वंय के स्तर पर ही आदेश को रिव्यू कर प्रार्थी को पक्षकार सम्मिलित कर प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

की जाकर उसके खातेदारी की आराजी में से रास्ता स्वीकृति के आदेश दिए है जो कि प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। उपखण्ड अधिकारी के समक्ष मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उक्त मौका रिपोर्ट में ना तो स्वयं तहसीलदार मौके पर गए, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर उक्त मौका रिपोर्ट तैयार कर उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित की गई है। मौके पर खसरा संख्या 488/144 का रकबा प्रभावित होना अंकन किया है। उक्त बाबत मौका रिपोर्ट में अंकन किए बिना प्रेषित मौका रिपोर्ट के विपरीत अवैधानिक रूप से प्रार्थी की खातेदारी की आराजी में से रास्ता स्वीकृति के आदेश दिए गए है। धारा–251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में खातेदार काश्तकारों के द्वारा स्वयं की आराजीयात पर आवगमन हेतु वैकल्पिक रास्ते के अभाव में ही रास्ता स्वीकृति हेतु अन्य खातेदारान की आराजीयात से रास्ता दिलाये जाने बाबत आवेदन किया जा सकेगा। उक्त बाबत धारा–251–ए में प्रावधित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट सं० 1 लगायत 3 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता होने के उपरान्त भी वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 488/144 व 487/144 जो कि अपीलांट की स्वयं की खातेदारी की आराजीयात है, उक्त आराजीयात पर होकर रास्ता स्वीकृत किए जाने के आदेश दिए गए है, जो कि प्रथम दृष्टया ही अवैधानिक होकर निरस्तनीय है। अतः उक्त आराजीयात किसी भी रूप में रास्ते के लिये दिया जाना काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानानुसार प्रावधित नहीं है। इसके बावजूद धारा–251–ए की मंशा के विपरीत वैकल्पिक मार्ग होने के बावजूद भी प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट की खातेदारी की आराजी में से रास्ता स्वीकृत किये जाने में त्रुटि कारित की गई है। प्रथमतः राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त आराजीयात में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग स्थित है। उक्त वैकल्पिक रास्ता मौके पर स्थित होते हुए भी आक्षेपित निर्णय में मौका रिपोर्ट में दीगर कोई रास्ता दर्शित नहीं किया है, वर्णित करते हुए आक्षेपित निर्णय से रास्ते के आदेश पारित किए जाने में त्रुटि कारित की गई है। आज्ञात्मक प्रावधानों को दरकिनार करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा वैकल्पिक मार्ग के उपरान्त भी अपीलांट की आराजीयात में रास्ता स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने बाबत निर्णय पारित किये जाने में त्रुटि कारित की गई है। धारा–251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधान जो कि आज्ञात्मक है, के अनुसार पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी स्वयं अथवा तहसीलदार से निम्न स्तर का कोई भी अधिकारी मौके पर रिपोर्ट हेतु नहीं जा सकेगा, ना ही उक्त आधार पर निर्णय पारित किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में मनोनीत तहसीलदार रेस्पोडेन्ट द्वारा अन्य को उक्त निमित मनोनीत करते हुये एकपक्षीय आदेश की पालना किए बिना रिपोर्ट प्रेषित की गई है, जिसे प्राप्त होना वर्णित करते हुये प्रकरण को एकपक्षीय रूप से सुना जाकर आक्षेपित निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में त्रुटि कारित की गई है। एकपक्षीय प्रेषित रिपोर्ट उक्त संदर्भ में धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत मौके पर वैकल्पिक मार्ग स्थित है अथवा नहीं। प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित है या नहीं अथवा पक्षकारान को नोटिस दिए बिना वैकल्पिक मार्ग के होते हुए अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात पर रास्ता स्वीकृत किए जाने बाबत रिपोर्ट प्रेषित की गई है। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को माननीय उच्च न्यायालय व राज्य सरकार के दिए गए निर्देश के

विपरीत एकमात्र रेस्पोडेन्ट संख्या की बहस सुनी जाकर प्रकरण को स्वीकार कर आदेश पारित किए जाने में त्रुटि कारित की गई है। धारा–251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानानुसार आवेदन की प्राप्ति पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने और ऐसी जांच जो वो ठीक समझे करने के पश्चात् यदि समाधान हो जाता है कि (1) यह आवश्यकता आत्यांन्तिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है, और (2) अन्य खातेदार की जोत से होकर विशिष्ठ रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया जाता है, तो वह आवेदन अनुज्ञात कर सकेगा। प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त आज्ञात्मक प्रावधानों के विपरीत जहां मौके पर पूर्व से ही अन्य रास्ता स्थित है, जिससे रेस्पोडेन्ट आवागमन करते है, उक्त वैकल्पिक मार्ग आवागमन हेतु स्थित है। वैकल्पिक रास्ता होने के उपरान्त भी अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात में से रास्ता दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे आक्षेपित आदेश से स्वीकार किये जाने में त्रुटि कारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा द्वारा बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकपक्षीय रूप से मंगाई गई पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट की खातेदारी की आराजीयात पर रास्ता स्वीकृत किए जाने के आदेश अन्य रास्ता स्थित है, जिससे रेस्पोडेन्ट आवागमन करते है, उक्त वैकल्पिक मार्ग आवागमन हेतु स्थित है, में वैकल्पिक रास्ते के स्थित होते हुए भी रास्ता स्वीकृत किये जाने में त्रुटि कारित की गई है। धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 251–ए के तहत आवेदन की प्राप्ति पर उपखण्ड अधिकारी या तो स्वयं स्थल का निरीक्षण करेगा या किसी अधिकारी जो निरीक्षक भू अभिलेख से निम्न रैंक का ना हो निरीक्षण करवाया तथा युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् आवेदन का निस्तारण करेगा। प्रस्तुत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र पर पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट बनायी जाकर तहसीलदार के समक्ष प्रेषित की गई है एवं उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात में से तीस फीट रास्ता दिये जाने के आदेश दिये गये है, जो कि वांछित 12 फीट रास्ते से अधिक होने से आज्ञात्मक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आक्षेपित निर्णय की आड में रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट की खातेदारी की आराजीयात में से रास्ता स्वीकृत कराया जाकर स्वयं के लाभ हेतु निर्णय की पालना करायी जा रही है, जिससे अपीलान्ट के हक एवं अधिकार प्रभावित होते है। आक्षेपित निर्णय बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किए एकपक्षीय पटवारी हल्का द्वारा प्रेषित रिपोर्ट जिसे तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया है, के आधार पर बिना अपीलांट की आपत्ति का अवसर दिए निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा स्वयं के हक एवं अधिकारों के रक्षार्थ अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 31/2024 (2024/107) में पारित आदेश दिनांक 06.11.2024 संशोधित 26.12.2024 सपठित 27.01.2025 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि ग्राम दौलतपुरा बलाईयान पटवार हल्का देलवाडा तहसील ब्यावर में खसरा नंबर 486/143 की भूमि स्थित है, जिसके एकमात्र खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण चले आ रहे है। उक्त भूमि के पूर्व में खसरा नंबर 487/144 जो सिवायचक दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी की उक्त भूमि में आने जाने हेतू कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा उक्त कारण से केवलमात्र प्रार्थी अपनी भूमि में आने जाने हेतू उक्त सरकारी भूमि का उपयोग किया जा रहा है। प्रार्थी को उक्त भूमि सरकारी भूमि में 30 फिट चौडा दिलाया जावे तथा प्रार्थी नियमानुसार डीएलसी राशि जमा करावाने के लिये तैयार है। प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि आने जाने हेतू उक्त सरकारी भूमि में रास्ता दिलाने हेतू तहसीलदार ब्यावर से निवेदन किया तो उक्त रास्ता देने से इन्कार कर दिया इसलिये इस प्रार्थना पत्र की आवश्यकता हुई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमि में आने जाने हेतू 30 फिट का रास्ता दिलाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा स्वयं की आराजीयात खसरा नम्बर 486/143 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 487/144 में से 30 फीट रास्ते बाबत अनुतोष चाहा गया।

भूअभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 05.04.2024 में खसरा नम्बर 486/143 में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 487/144, 489/145, 491/145 व 488/144 में से दिए जाने बाबत मौका रिपोर्ट तैयार की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में दिनांक 06.11.2024 को निर्णय पारित किया गया। तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 व 152 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश में संशोधन करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 26.12.2024 को स्वीकार किए जाने के आदेश दिए गए।

इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में अपीलांट को पक्षकार ही संयोजित नहीं किया गया। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में रास्ता खसरा नम्बर 488/144 में से भी प्रस्तावित किया गया है व अपीलांट खसरा नम्बर 488/144 का रिकार्डेड खातेदार/काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक रिकार्डेड खातेदार/काश्तकार को प्रकरण में बिना पक्षकार संयोजित किए निर्णय पारित किया गया है।

जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौका रिपोर्ट में किन किन खसरों से रास्ता दिया जाना है, इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया जाकर उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को बिना पक्षकार संयोजित किए व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 47 जा0दी0 एवं धारा 229 प्रस्तुत किया गया व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

दिनांक 27.01.2025 को उक्त प्रार्थना पत्र एकपक्षीय रूप से स्वीकार किया गया।

वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को निर्णय पारित किए जाने से पूर्व प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया जिससे वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने से वंचित रहे है। इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्णय पारित करते समय त्रुटि कारित की गई है।

उपरोक्त विवेचनानुसार व अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में त्रुटि कारित हुई है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय खारिज करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 31/2024 (2024/107) में पारित आदेश दिनांक 06.11.2024 संशोधित आदेश दिनांक 26.12.2024 व सपठित आदेश दिनांक 27.01.2025 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि उभयपक्षों की उपस्थिति में नियम 69 की पालना करते हुए मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए में वर्णित बिंदु यथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव व लघुत्तम मार्ग का अनुसरण करते हुए तथा प्रकरण में 30 फीट चौडे रास्ते की आवश्यकता है अथवा नहीं इसका स्पष्ट विवेचन करते हुए पुनः विस्तृत रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2026 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर